

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई०ए०ए०

प्रकरण संख्या - 102/2021

(Bank Case)

GCMS No. - 2021/237

एयू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेन्सर्स इण्डिया लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय-19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 राजस्थान में स्थित है।

- प्रार्थी /सिक्वोर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री दुर्गा शंकर विजय पुत्र श्री मदन लाल विजय (ऋणी / बंधककर्ता)
पता- 2-जे-11, ओपेरा रोड, जैन बुक डिपो के पास, सेक्टर-2
तलवण्डी-324005, राजस्थान
2. श्रीमती सुमित्रा विजय पत्नी श्री दुर्गा शंकर विजय (सहऋणी)
पता- 2-जे-11, ओपेरा रोड, जैन बुक डिपो के पास, सेक्टर-2
तलवण्डी-324005, राजस्थान
3. श्री जितेन्द्र पुत्र श्री प्रकाश चन्द (जमानती)
पता- 142, बैरवा बस्ती, देवली जिला कोटा, राजस्थान

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री कुलदीप सिंह जादोन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 20.10.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी " एयू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेन्सर्स इण्डिया लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय-19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 राजस्थान में स्थित है, से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 31.03.2016 को 25,00,000/- (अक्षरे पच्चीस लाख रुपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी संख्या 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप में श्रीमति सुमित्रा विजय पत्नी दुर्गाशंकर विजय की अचल सम्पत्ति 2-जे-11, ओपेरा रोड, जैन बुक डिपो के पास, सेक्टर-2, तलवण्डी-324005, राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 44.62 स्क्वायर मीटर है, जिसका आवंटन पत्र आवासन मण्डल जयपुर द्वारा दिनांक 23.2.1982 से जारीसुदा है, जिसकी चर्तु सीमाए- पूर्व में म.नं० 2-जे-11, पश्चिम में- म०नं० 2-जे-10, उत्तर में- रोड, दक्षिण में- म०नं० 2-जे-19 को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक. 30.11.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खाते में 23,79,443/- (अक्षरे तेईस लाख उनयासी हजार चार सौ तियालीस रुपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 02.04.2021 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 23.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया तथा उक्त नोटिस

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में दैनिक नवज्योति व अंग्रेजी में "इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 24.06.2021 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बंधकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 23.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में दैनिक नवज्योति व अंग्रेजी में "इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 24.06.2021 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 23.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में दैनिक नवज्योति व अंग्रेजी में "इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 24.06.2021 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता श्रीमति सुमित्र विजय पत्नि दुर्गाशंकर विजय की अचल सम्पत्ति 2-जे-11, ओपेरा रोड, जैन बुक डिपो के पास, सेक्टर-2, तलवण्डी-324005, राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफन 44.62 स्क्वायर मीटर है, जिसका आवंटन पत्र आवासन मण्डल जयपुर द्वारा दिनांक 23.2.1982 से जारीसुदा है, जिसकी चर्तु सीमाए- पूर्व में म.नं0 2-जे-11, पश्चिम में- म0नं0 2-जे-10, उत्तर में- रोड, दक्षिण में- म0नं0 2-जे-19 का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 20-10-2021 को सुनाया गया।

3
(उज्ज्वल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)